


148 149

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

श्री वासुदेव तिवारी
एड. व्यापक
16-8-13



रामनिधि तनय राम प्रताप ब्रा0 निवासी ग्राम डीही , पो0 मांगी , तह0 त्योंथर जिला रीवा (म0प्र0)

.....निगरानीकर्ता

479
16-8-13

बनाम

राधाकान्त तनय श्री वासुदेव तिवारी निवासी ग्राम डीही, पो0 मांगी, तह0 त्योंथर जिला रीवा (म0प्र0)

R-3276-III/13

.....गैर निगरानीकर्ता

24-8-13

अपर

निगरानी विरुद्ध आयुक्त रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) के प्र0क्र0 23/अपील/88-89 में पारित आदेश दिनांक 03.07.13 ✓

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 ई0

मान्यवर

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

निगरानी प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न है :-


यह कि विवादित भूमि आ0नं0 438 नया नंबर 150 रकवा 0.33 एकड सन 1953-54 से निगरानीकर्ता के पिता के कब्जे में आयी व उनके जीवनकाल तक उनके कब्जे में रही तथा पिता की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी आपसी हिस्सा बांट में निगरानीकर्ता को मिली जिस पर पिता की मृत्यु के बाद से निगरानीकर्ता का कब्जा दखल है । निगरानीकर्ता के पिता का कब्जा राजस्व अभिलेखों में सन 1953-54 से 60-61 तक के खसरे में दर्ज है । निगरानीकर्ता के पिता स्व0 राम प्रताप एवं गैर निगरानीकर्ता के पिता स्व0 वासुदेव के मध्य विवादित भूमि पर कब्जा को लेकर सन 1958 में विवाद हुआ था । प्रकरण नायब तहसीलदार के न्यायालय में चला उसके बाद कब्जे संबंधी विवाद में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.3276-III/13

जिला-रीवा

रामनिधी/राधाकान्त तिवारी

(1)	(2)	(3)
16.05.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	